पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः ऊर्जा निधि, 1 बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

दूरभाष नं. 23456000/23456789 फैक्स नं. 23412545

वेबसाइटः http://www.pfcindia.com

नागरिक घोषणा-पत्र

1.0 मिशन

पीएफसी सर्वाधिक अधिमान्य वित्तीय संस्थान होगा और इसके लिए उनका साध्य हैः दक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय रूप से एकीकृत स्रोतीकरण तथा सेवा प्रदान करने के साथ-साथ वहनीय और प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र में होने वाले सुधारों में अपनी भागीदारी करना और अपने स्टेकधारकों का मान्य संवर्धन करना, भारत एवं विदेश में विद्युत एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यक्षम निवेश को बढ़ावा देना।

हम यह लक्ष्य सिद्धि कर सकेंगे क्योंकि हम एक ऊर्जस्वित, समंजनीय, अग्रद्रष्टा, विश्व, सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन हैं, अपने स्टेक धारकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं एकनिष्ठा के कारण सदा-सर्वदा लाभप्रद एवं चिरस्थायी हैं।

2.0 विजन

भारत और विदेश में विद्युत एवं उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की प्रत्येक आयामीय श्रृंखला में एक अग्रणी संस्थागत भागीदार बनना।

3.0 निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

- **वित्तीय सेवाएं**

  - सावधि ऋण – यह ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण, प्रणालीगत सुधार और सहित बिजली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सावधि ऋणों की परिपक्कता और स्थगन मुख्य रूप से किसी संस्थान द्वारा अपनाई गई योजना के प्रकार पर निर्भर करता है। वित्तीय सहायता की मात्रा केन्द्र/राज्य क्षेत्र के निकायों की परियोजना लागत का क्रमशः 70 से 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में 20 से 50 प्रतिशत तक होती है।

  - पट्टा वित्त व्यवस्था (लीज़ फाइनेंसिंग) - बिजली उपकरणों की पट्टा वित्त- व्यवस्था की योजनाओं के अंतर्गत बिजली परियोजनाओं और संबद्ध कार्यों के लिए अनिवार्य कोई उपकरण या मशीनरी को कवर किया जाता है। धन की मात्रा उपकरण की लागत का शत प्रतिशत तक होती है। पटज्ञटे की अवधि 3 से 10 वर्ष तक हो सकती है

- बिलों की प्रत्यक्ष डिसकाउंटिंग - सभी उपकरण विनिर्माताओं को ऋण (क्रेडिट) उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे बिजली क्षेत्र के खरीदार को स्थगित भुगतान शर्तों पर अपने उपकरण बेच सकें। इस योजना के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता को उपकरण अथवा मशीनरी की डिलीवरी ऐसे बिलों के प्रति की जाती है जो क्रेता के बैंकर द्वारा विवत रूप से स्वीकृत/गारंटीकृत होते हैं। विधिवत रूप से हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान पीएफसी द्वारा बट्टे पर विक्रेता को किया जाता है ताकि विक्रेता को तत्काल भुगतान मिल सके जबकि क्रेता को स्थगित भुगतान शतों की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। धन की मात्रा प्रस्तुत किए गए बिलों की राशि के शत-प्रतिशत तक होती है।

- गारंटी सेवाएं – बिजली क्षेत्र के लिए धन की आवश्यकताएं चूंकि अपरिमित होती हैं और अनेक वित्तीय एजेंसियां किसी भारतीय संस्थान से गारंटी मांगती हैं, इसलिए पीएफसी ने गारंटी सेवाएं प्रदान करना शुरू किया है। ये सेवाए उधार लेने वाले विश्वसनीयता के प्रति पीएफसी की संतुष्टि के अधीन होती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था की मात्रा मंजूर की गयी सावधी ऋण की सीमा से 15 प्रतिशत से अधिक तक होती है।

- ऋण समूहन - धन के कारगर प्रबंधन और मूल्याकंन के लिए, पीएफसी ने अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे- मैसर्स आईएफसीआई, आईसीआईसीआई आदि के साथ ऋण समूहन पर विचार करना शुरू किया है। प्रदान किए जाने वाले धन की मात्रा सावधि ऋण के बराबर होती है।

- अल्पावधि ऋण - पीएफसी ने परिष्कृत ग्राहक सेवाओं के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियों को व्यापक आधार वाला बनाने के प्रयोजन से अल्पावधि ऋण की नई विंडों शुरू की है। इसका उद्देश्य सरकारी कंपनियों को सहायता पहुंचाना है, अन्यथा उन्हें ऊंची लागत पर वाणिज्यिक बैंकों से अल्पावधि ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान में धन की मात्रा 300 करोड़ रूपए तक है और न्यूनतम अल्पावधि 30 दिन तथा अधिकतम अवधि 360 दिन होती है।

उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रिया - ऋण लेने वाले को पीएफसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप में सेवाओं के लिए अनुरोध करना होगा। यह प्रारूप पीएफसी वेबसाइट :pfcindia.com पर उपलब्ध है। लेकिन अल्पाधि ऋण सुविधा, यानि बिलों की बट्टे पर सीधे अदायगी का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रपत्र वित्तीय उत्पाद एकक (फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूनिट) के पास उपलब्ध है जिसका पता इस घोषणा-पत्र के अनुलग्नक 'क' में वर्णित है।

- **संस्थागत विकास सेवाए :**

- सरकारी कंपनियों में तकनीकी और वित्तीय सेवाओं संबंधी सुधारों के माध्यम के रूप में काम करते हुए पीएफसी ने बिजली कंपनियों को तकनीकी वित्तीय और प्रबंधकीय कौशल में सुधार के लिए सहायता देना प्रारंभ किया है ताकि अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सक्षम, आत्मनिर्भर और तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल बनाया जा सके। इनके अंतर्गत सुधारों/कंपनियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में सहायता के लिए परामर्शदाता आदि नियुक्त

करने महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में कार्यशालाओं का आयोजन करने,बिजली खरीद समझौतों, वितरण निजीकरण समझौतों आदि मॉडल दस्तावेज के जरिए भारत सरकार के निजी बिजली वकास प्रयासों को तेजी से लागू करने में हसायता करना शामिल है।

- कंपनी विकास योजनाएं - यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण प्रचालन गतिविधियों के लाभ टिकाऊ रह सकें, पीएफसी राज्य बिजली कंपनियों के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन की समस्याओं का समाधान करता है । इसके लिए पद्धति विषयक उपाय किए जाते हैं और प्रचालनगत एवं वित्तीय कार्ययोजना (ओएफएपी) का कार्यान्वियन किया जाता है । ओएफएपी दस्तावेज नैदानिक अध्ययन पर आधारित होता है जिसमें बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है । ये दस्तावेज कंपनी और संबद्ध राज्य सरकार के साथ परामर्श और समझौते के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ओएफएपी पर जोर देने और इसे पीएफसी की सहायता के साथ जोड़ने से कंपनियों के कार्यनिष्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन आए हैं ।

- बिजली क्षेत्र के अध्ययन के वित्तीय सहायता - विकासक की भूमिका के अनुरूप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफ़सी) कार्यनीतिक दृष्टि से महत्वपूण तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इसके अंतर्गत निम्नांकित अध्ययनों के अनुदान, ब्याज मुक्त और या रियायती ब्याज पर ऋण प्रदान किए जाते हैं :

  क) सुधार और पुनर्गठन संबंधी अध्ययन ।
  ख) परियोजना तैयार करने और निगरानी एवं कार्यान्वियन आदि के लिए निवेश पूर्व अध्ययन ।
  ग) लोड, मांग प्रणाली आदि में वृद्धि का मूल्याकंन करने संबंधी अध्ययन ।
  घ) पारेषण और वितरण तथा मांग संबंधी प्रबंधन में सार प्रणालियां ।
  ङ) बिजली संयंत्रों के पुनरूद्धार के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण/नवीकरण एवं उन्नयन/शेष जीवन मूल्याकंन संबंधी अध्ययन ।
  च) संस्थागत विकास संबंधी अध्ययन ।

- राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और उनका पुनर्गठन- पीएफसी राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अपने बिजली क्षेत्र को वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए उसमें सुधार और नवीकरण प्रयासों को अंजाम दें । इस तरह पीएफसी राज्यों को उनके बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है । इसके अंतर्गत व्यापक वित्तीय पैकेज दिये जाते हैं । यदि राज्य पीएफसी की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ सुधारों को लागू करते हैं तो यह पैकेज कुल निवेश जरूरतों का 80 प्रतिशत तक हो सकता है । ऐसे कार्यक्रम को सुधार प्रचालन एवं वित्तीय कार्ययोजना (ओएफएपी) और निवेश के साथ जोड़ा जाएगा ।

संस्थागत विकास से संबंधित उपर्युक्त सेवाओं का लाभ उठाने का तरीका - सेवाओं के लिए अनुरोध पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा इसके लिए निर्धारित प्रारूप में अनुरोध भेजेंगे, अनुदार/आसान ऋण प्राप्त करने के अनुरोध करने वालों को अपने आवेदन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होगा :-

- नियम और शर्तें
- अध्ययन का उदेश्य
- अध्ययन से प्राप्त होने वाले परिणाम
- परामर्शदाताओं के चयन की प्रक्रिया
- प्राप्त परिणामों के मुख्य बिन्दु और अनुसूची और परामर्शदाताओं को भुगतान
- परामर्शदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान राशि जारी करने या राज्य बिजली बोर्डों को भुगतान करने की प्रस्तावित प्रक्रिया
- अध्ययन के निष्कर्षों के उपयोग के लिए प्रस्तावित कार्य योजना

ये फार्म पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की संस्थागत जानकारी विकास ईकाई के पास उपलब्ध हैं और संबंधित अधिकारियों के पते इस अध्याय के अनुलग्नक-क में सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

- **अन्य सेवाएं**

  - **परामर्श सेवाएं –** परामर्श सेवाओं का उदेश्य सौंपे गये कार्यों को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा कर बिजली और वित्तीय क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता से युक्त सलाहकार सेवा उपलब्ध कराना है। पीएफ़सी द्वारा बिजली और वित्तीय क्षेत्रां के लिए शुल्क आधारित परामर्श सेवाओं की शुरूआत का मुख्य उद्देश्य राज्यों के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, राज्य सरकारों, बिजली विभागों और निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराना था।
    पीएफसी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कई तरह की सेवाओं में पुनर्गठन और सुधार गतिविधियां, सुधारी गई संस्थाओं को चालू करना, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन , संसाधन जुटाना और लेखाकंन प्रणालियां, परियोजना संरचना/नियोजन/विकास/विशिष्ट अध्ययन, कार्यान्वियन , राज्य के स्वामित्व वाले और निजी संगठनों की निगरानी और दक्षता में सुधार की परियोजनाएं, टिकाऊ मानव संसाधन योजनाओं का विकास , संचार और सूचनाओं का प्रसार, सचूना प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं।

- <u>**अन्य गतिविधियां**</u>
  - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से संसाधन जुटाना।

  - बांड धारकों को सेवाएं उपलब्ध कराना और न्यासी नियुक्त कर उनके हितों की रक्षा करना।

- भुगतान प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत होने के बाद सुयोग्य ऋण लेने वालों को ऋण राशि का भुगतान।

- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ लेन-देन करना।

- तृतीय पक्ष/अन्य सेवा प्रदाताओं के निपटाना।

4.0 सूचनाओं तक पहुंच

- कॉर्पोरेशन की गतिविधियों और उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में और जानकारी कॉर्पोरेशन द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों में उपलब्ध है। इन सार्वजनिक जानकारी के तहत अनुलग्नक 'क' में बताये गये अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है।

- कॉर्पोरेशन की गतिविधियों, वित्तीय उपलब्धियों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारियां पीएफसी के वेबसाइट http://www.pfcindia.com पर उपलब्ध हैं।

- कॉर्पोरेशन कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार अपने संचानात्मक परिणामों का त्रैमासिक/वार्षिक विवरण प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाता है।

- कॉर्पोरेट निष्पादन आदि का विवरण कॉर्पोरेट संचार और जन-संपर्क इकाई के पास भी उपलब्ध है

5.0 शिकायत निवारण

- नागरिकों/उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर संलग्नक 'क' में बताए गए निर्दिष्ट अधिकारियों से संपर्क करने काक पूरा अधिकार है।
- एक वरिष्ट अधिकारी को निदेशक (जन-शिकायत) नामित किया गया है जो इस कार्य के लिए संलग्नक- 'ख' में दिए गए विवरण के अनुसार उपलब्ध रहता है। (विवरण स्वागत कार्यालय में उपलब्ध/ प्रदर्शित है)

- शिकायत को निपटाने की समय सीमा अनुलग्नक-'ग' में दी गई है।

6.0 समय - सूची

- अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए पीएफसी संचालन नीति विवरण तैयार करता है, जिसमें कॉर्पोरेशन की संचालनात्मक नीति और वित्तीय सहायता के दिशा-निर्देशों शामिल रहते हैं। संचालन नीति विवरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि ऊर्जा क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं और उभरती जरूरतों को पूरा किया जा सके :-

  - ➢ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से वित्तीय सहायता लेते समय बिजली कंपनियों के अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए मानक ऋण आवेदन प्रारूप को भरेंगी । (प्रारूप पीएफसी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर उपलब्ध है) ऋण आवेदन में अन्य बातों के अलावा संक्षिप्त भूमिका और आवेदकों के लिए निर्देश भाग-1 भी दिए गए हैं ताकि पीएफसी ऋण आवेदनों को शीघ्रता से कार्रवाई कर सके। आवेदकों को चाहिए कि वे मानक ऋण आवेदन पत्र में वांछित सभी विवरण उपलब्ध कराएं। कोयले से संचालित पारंपरिक बिजलीघर के लिए आवेदन का एक नमूना संलग्न है।

  - ➢ पीएफ़सी मानक आवेदन पत्र के प्रारूप में पूरी तरह भरे हुए प्रत्येक आवेदन के प्राप्त होने पर लिखित पावती जारी करेगा।

  - ➢ पूरी तरह से भरे गये आवेदन पर एक युक्तिसंगत समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

7.0 ऋणकत्ताओं का दायित्व

- ज्ञण लेने वालों का यह दायित्व है कि वे पूरी और सही जानकारी/आंकड़े उपलब्बध कराएं ताकि कॉर्पोरेशन समुचित निर्णय ले सके।

- परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लागत अनुसूची और कॉपोररेशन द्वारा स्वीकृत शर्तों का अनुपालन जरूरी है। मूलधन और ब्याज सहित देयताओं का समय पर भुगतान भी आवश्यक है।

8.0 उपभोक्ता/जनता से संपर्क की अन्य गतिविधियां

- कॉर्पोरेशन कार्यपालक अधिकारियों की राज्य बिजली कंपनियों के साथ बैठकें साल में दो बार आयोजित करता है ताकि उनकी परेशानियों काक जायजा लिया जा सके और आपसी संबंधों को सुधारने/मजबूत करने के बारे में उनके सुझाव प्राप्त किये जा सके।

9.0 घोषणा-पत्र की समीक्षा और कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

घोषणा पत्र के कार्य निष्पादन की वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी जोकि पिछले वर्ष के अनुभवों पर आधारित होगी।

10.0 <u>नागरिक घोषण पत्र पर कारगर कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारी</u>

श्री पी. के. भार्गव, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)

'ऊर्जा निधि', 1 बाराखंबा लेन, कॅनाट पलेस,

नई दिल्ली- 110001

(कार्यालय) 23456701

(आवास) 26537558

फैक्स नं. 23456781

अनुलग्नक- “ए”

जन इंटरफेस — पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कहां संपर्क करें : **ऊर्जा निधि', 1 बाराखंबा लेन, कॅनाट पलेस,**

नई दिल्ली- 110001

टेलीफोन नंबर -23456000/23456 789(फ़ैक्स -23412545

वैबसाइट :http/www.pfcindia.com

क्रम संख्या	राज्य / गतिविधि	व्यवहार अधिकारी (सुश्री/श्री)	दायित्व	संपर्क संख्या	ई-मेल
1	विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण (राज्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, स्वतंत्र विद्युत परियोजनाएं)-प्रोजेक्ट अप्रेजल, ईंधन एवं पूंजीगत उपस्कर वित्तीयन एवं कंशोर्शियम लेंडिंग				
(I)	समन्वय् एव ज्ञान प्रबंधन यूनिट	महाप्रबधक जी. एस.पात्रा	आइएसओ, एमआईएस, मानकीकरण, ज्ञान प्रबधन,अनुरक्षण एव एलई/एलएफ़ए,एल एलसी/एलआईए सूची का अपडेशन से सब धत मामलो का दायित्व एव केंद्रीय क्षेत्र एव सयुक्त क्षेत्र परियोजनाओ से सब धत कपनी के प्रचलनो से सब धत मामलो का दायित्व	(O) 23456589 (R) 22619928	gs_patra@pfcindia.com
(II)	परियोजना उत्तरी क्षेत्र	महाप्रबंधक आर. एस. ढिल्लों महाप्रबंधक सी. पी. रवींद्र	उत्तरी क्षेत्र से संबंधित कंपनी के प्रचालनों का दायित्व	(O) 23456686 (R)26144450	rsdhillon@pfcindia.com cp_ravindra@pfcindia.com
(III)	परियोजनाएं - पश्चिमी क्षेत्र	कार्यपालक निदेशक ए. चक्रवर्ती महाप्रबंधक आरआर झा महाप्रबंधक आर. आर. झा महाप्रबंधक पी. के. सिन्हा	पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित कंपनी के प्रचालनों का दायित्व	(O) 23456687 (R) 22620322 (0)23456689 (R)01242360975 (0)23456581 **(R)26942748**	achakravarti@pfcindia.com rrjha@pfcindia.com pk_sinha@pfc I com

(IV)	परियोजना- दक्षिणी क्षेत्र	कार्यपालक निदेशक पी. के. सिंह महाप्रबंधक मोहन लाल अपर महाप्रबंधक राजेश कुमार शाही	दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित कंपनी के प्रचालनों का दायित्व	(O) 23456588 (R) 26895608 (0)23456585 (R)951244259684 (0)23456405 (R)951202402806	pk_singh@pfcindia.com mohan_lal@pfcindia.com rajesh_shahi@pfcindia.com
(V)	परियोजनाए-पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र	कार्यपालक निदेशक नवीन कुमार महाप्रबंधक सुभाष चन्द्र महाप्रबंधक पवन मालिक	पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित कंपनी के व्यापारिक प्रचालनों का दायित्व	(0)23456682 (R)25088826 (0)23456660 (0)23456684 (R)49055208	naveen_kumar@pfcindia.com pksinha@pfcindia.com
2	वित्त:				
(I)	ऋण वसूली	कार्यपालक निदेशक के श्रीधर महाप्रबंधक बी. एस. बिष्ट	ऋण वसूली से संबंधित मामलों का दायित्व	(O)23456883 (R)25088556 (0)23456295 (R)4248496	k_sridhar@pfcindia.com bs_bisht@pfcindia.com
(II)	निगमित खाते	कार्यपालक निदेशक नलिनी वंजनी अपर महाप्रबंधक आर के मल्होत्रा	निगमित लेखाओं से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456882 (R)26191530 (0)23456885 (R)22236843	Nalini-_vanjani@pfcindia.com rk_malhotra@pfcindia.com
(III)	कराधान	कार्यपालक निदेशक नलिनी वंजानी महाप्रबंधक आलोक सिंघल	कराधान से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456882 (R)26191530 (0)23456292 (R)4106578	Nalini_vanjani@pfcindia.com Alok_singhal@pfcindia.com

(IV)	ऋण नीति	कार्यपालक निदेशक के. श्रीधर महाप्रबंधक संदीप कुमार	ऋण नीति से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456883 (R)25088556 (0)23456886 (R)0129-4131383	k_sridhar@pfcindia.com sandeep_kumar@pfcindia.com
(V)	स्थापना लेखा एवं स्थापना सहमति	महाप्रबंधक आर. चंद्रशेखरन	स्थापना लेखा, सहमति, एवं बिलों से संबधित मामलों का दायित्व	(0)23456684 (R)22721586	rc_sekharan@pfcindia.com
(VI)	वित्तीय विश्लेषण एवं प्रणालियां	कार्यपालक निदेशक के.श्रीधर	निवेशक सम्मेलन, प्रश्नो,प्रेजेंटेशन, सिस्टम डेवेलपमेंट/कार्यान्वयन एवं वित्त में आईएसओ से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456883 (R)25088556	k_sridhar@pfc.india.com
(VII)	ऋण सहमति	महाप्रबंधक परमिंदर चोपड़ा	ऋण सहमति से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456289 (R)27417583	parminderchopra@pfcindia.com
(VIII)	कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन	कार्यपालक निदेशक के.श्रीधर महाप्रबंधक ए. एस. नंदा	परिसंपत्ति देयता एवं जोखिम प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का दायित्व	(O)23456883 (R)25088556 (O) 23456888 (R) 25144100	r_sridhar@pfc.india.com as_nanda@pfc.india.com_
(IX)	संरचनात्मक उत्पाद समूह	महाप्रबंधक आर चन्द्रशेखरन	इक्विटि कंशोर्शियम एवं बैंकिंग परिसंपत्ति के अर्जन के माध्यम से निवेश समूह एवमा प्रोजेक्ट का वित्तपोषण से संबधित मामलों का दायित्व	(O) 23456684 (R) 22721586	rc_sekharan@pfcindia.com

(X)	निधि प्रबंधन एवं बैंकिंग यूनिट	कार्यपालक निदेशक नलिनी वंजानी महाप्रबंधक शैली वर्मा	राजकोष प्रबंधन, बैंकिंग एवं इक्विटी फंड से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456882 (R)26191530 (O)23456293 (R) 25088556	nalini_vanjan@pfcindia.com shelly_verma@pfcindia.com
(XI)	संसाधन जुटाव (सार्वजनिक निर्गम), पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन	कार्यपालक निदेशक के. श्रीधर महाप्रबंधक आर.के. तिल्लुरी	घरेलू बाज़ार,पीएफ़, ग्रेच्युटी,पेंशन से स्रोतों के जुटाव से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456883 (R)25088556 (O)23456887 (R) 43618741	k_sridhar@pfcindia.com rk_talluri@pfcindia.com
(XII)	संसाधन जुटाव -1	कार्यपालक निदेशक के श्रीधर महाप्रबंधक एन. बी. गुप्ता	घरेलू बाज़ार एवं विदेशी बाज़ारों में ऋण पुनर्शोधन से स्रोतों के जुटाव से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456883 (R)25088556 (O)23456285 (R) 45642776	k_sridhar@pfcindia.com nb_gupta@pfc.india.com
(XIII)	संसाधन जुटाव -2	कार्यपालक निदेशक के. श्रीधर महाप्रबंधक संजय सक्सेना	विदेशी बाज़ारों एवं घरेलू बाज़ारों में ऋण पुनर्शोधन से संसाधन जुटाव से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456883 (R)25088556 (O)23456881 (R)951202774360	k_sridhar@pfcindia.com sanjay_saxena@pfcindia.com
(XIV)	विभिन्न परियोजनाओं स्वीकृत ऋण का संवितरण	कार्यपालक निदेशक नलिनी वंजानी महाप्रबंधक डी एस यादव	विभिन्न परियोजनाओं स्वीकृत ऋण का संवितरण से संबधित मामलों का दायित्व	23456882 (R)26191530 (O)23456292 (R) 4106578	nalini_vanjani@pfcindia.com ds_yadv@pfcindia.com
3.	वा णज्यिक जिसमें सुधार कार्यक्रम भी शा मल हैं- एसईबी/आईपीपी,एंटीटी , अप्रेजल, एक्सपोजर, मूलयांकन, प्रचालनगत एवं वत्तीय कार्यान्वयन योजनाओं का तैयारी एवं कार्यान्वयन				
(I)	एंटिटी अप्रेजल (उत्तर,पूर्वी और उत्तर-पूर्वी)	कायकारी निदेशक अवकाश सक्सेना अपर महाप्रबंधक	राज्य एंटिटी अप्रेजल, केंद्रीय वदयुत संस्था, एवं राज्य वैदयुत संस्था, उत्तरी,पूर्वी एवं	(O)2345682 (R)26944275 (O) 23456403 (R) 01204276079	Avkashs_saxena@pfcindia.com nk_kohli@pfci

		नवीन कुमार कोहली	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मे राज्य वदयुत संस्थाओं एवं राज्य वदयुत संस्था डस्कॉम की एकीकृत रेटिंग से संब धत मामलों का दायित्व		ndia.com
(II)	स्टेट एटिटी अप्रेजल (द क्षणी एवं पश्चिमी क्षेत्र)	कायकारी निदेशक अवकाश सक्सेना महाप्रबंधक जी. वेंकटरमन	राज्य एंटिटी अप्रेजल, केंद्रीय वदयुत संस्था, एवं राज्य वदयुत संस्था, द क्षणी एवं पश्चिमी क्षेत्र राज्य वदयुत संस्थाओं एवं राज्य वदयुत संस्था डस्कॉम की एकीकृत रेटिंग से संब धत मामलों का दायित्व	(O)23456582 (R)26944275 (O)23456386 (R) 25524093	Avkashs_saxena@pfcindia.com g _venkataraman@pfcindia.com
(III)	एंटिटी अप्रेजल – आईपीपी।	कायपालक निदेशक मनोज कुमार राणा अपर महाप्रबंधक वी. पकरीसामी	निजी क्षेत्र सस्थाओ के एंटिटी अप्रेजल, से संब धत मामलों का दायित्व	(0)23456481 (R)25089244 (O) 23456371 (R)22718054	mk_rana@pfcindia.com v_packirisamy@pfcindia.com
(IV)	एंटिटी अप्रेजल आईपीपी।	महाप्रबधक मनोज शर्मा कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार राणा	निजी क्षेत्र सस्थाओ के एंटिटी अप्रेजल, से संब धत मामलों का दायित्व	(0)23456481 (R)25089244 (O) 23456586 (R)26163418	Manoj_sharma@pfcindia.com Mk_rana@pfcindia.com
(V)	ऋण दस्तावेजीकरण	महाप्रबंधक मनोज शर्मा	कानूनी मामलों एव दस्तीवेज़ से संब धत मामलों का दायित्व	(0)23456481 (R)25089244	iqbal_singh@pfcindia.com
(VI)	लीगल	महाप्रबंधक इकबाल सिंह खरबंदा	निगम के विभिन्न कार्यों से संबंधित कानूनी मुद्दों को देख रहें है।	(O)23456387 (R) 25884653	avkash_saxena@pfcindia.com

(VII)	राज्य क्षेत्र विश्लेषण एवं अनुसंधान	कार्यपालक निदेशक जी.एस.घई	राज्य क्षेत्र के विश्लेषण एवं अनुसंधान से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456387 (R)25884653	gs_ghai@pfcindia.com
(VIII)	सुधार समीक्षा	कार्यपालक निदेशक जी.एस.घई	राज्य क्षेत्र में सुधारों की समीक्षा का दायित्व	(O)23456387 (R)25884653	gs_ghai@pfcindia.com

(VI)	एस्टेट एवं भवन निर्माण प्रबंधन और पुस्तकालय	कार्यपालक निदेशक पी.के. भार्गव महाप्रबंधक आर.के.भारद्वाज	एस्टेट एवं भवन निर्माण प्रबंधन और पुस्तकालय के प्रचालनों से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456781 (R) 26537558 (O) 23456300 (R) 951202762326	pkbhargava@pfcindia.com rkbhardwaj@pfcindia.com
(VII)	राजभाषा	कार्यपालक निदेशक जी. एस. घई अपर महाप्रबंधक मीनू गुप्ता	राजभाषा से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456387 (R)25884653	gs_ghai@pfcindia.com meenu_gupta@pfcindia.com
(VIII)	इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस)	कार्यपालक निदेशक रा धका झा	त्वरित वद्युत वकास एवं सुधार कार्यक्रम से संब धत सुधारों के वकास से संब धत मामलों का दायित्व	(O)23456683	radhikajha@pfcindia.com
(IX)	प्रशासनिक एवं सहायक सेवा	कार्यपालक निदेशक पी.के.भार्गव महाप्रबंधक आर.के. भारद्वाज	प्रशासनिक एवं सहायता सेवा से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456781 (R) 26537558 (O) 23456300 (R) 951202762326	pkbhargava@pfcindia.com rkbhardwaj@pfcindia
(X)	मानव संसाधन	कार्यपालक निदेशक पी.के.भार्गव अपर महाप्रबंधक जी. जवाहर	मानव संसाधन से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456781 (R) 26537558 (O)23456382 (R)25085017	pkbhargava@pfcindia.com g_jawahar@pfcindia.com
(XI)	कम्प्यूटरीकरण पावरनेट प्रोजेक्ट आदि सहित प्रबंधन प्रणाली	कार्यपालक निदेशक पी.के.भार्गव महाप्रबंधक के.वी.वी. सत्यनारायण	कम्प्यूटरीकरण, पावरनेट प्रोजेक्ट आदि सहित प्रबंधन से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456781 (R) 26537558 (0)23456736 (R)25085017	pkbhargava@pfcindia.com pssundaram@pfcindia.com

(XII)	निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास	कार्यपालक निदेशक जी.एस. घई अपर महाप्रबंधक आर. मुराहरि	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी नीति और सतत विकास कार्यान्वयन से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456387 (R)25884653 O)23456481 (R) 26951924	gs_ghai@pfcindia.com r_murahari@pfcindia.com
4.	अन्य				
(I)	सतर्कता	प्रमुख जागरूकता अधिकारी	सतर्कता संबंधित से संबधित मामलों का दायित्व	(O) 23456951	
(II)	कॉर्पोरेट प्लानिग	कार्यपालक निदेशक दिनेश विज	कॉर्पोरेट प्लानिग से संबधित सभी मामलों का दायित्व	(O) 23456383 (R) 25088277	dinesh_vij@pfcindia.com
(III)	जनसंपर्क	कार्यपालक निदेशक पी.के.भार्गव अपर महाप्रबंधक ओम प्रकाश	जनसंपर्क से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456781 (R) 26537558 (O)23456726 (R) 22619673	pkbhargav@pfcindia.com om_prakash@pfcindia.com
(IV)	कंपनी स चवालय	कंपनी सचिव मनोहर बलवानी	एक कंपनी सचिव के रूप में दायित्व निभा रहे हैं।	(O) 23456787 (R) 27040030	mb@pfcindia.com
(V)	पीएफ़सीसीएल	कार्यपालक निदेशक सी. गंगोपाध्याय	कंसल्टेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने से संबधित मामलों का दायित्व	(O) 23456283 (R) 22743586	chinmoy_gangopadhyay@pfcindia.com
(VI)	पीएफ़सी सीएएस	कार्यपालक निदेशक सी. गंगोपाध्याय	कंसोर्टियम लेंडिंग, पावर ऋणदाता क्लब से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456283 (R) 22743586	chinmoy_gangopadhyay@pfcindia.com

(VI)	पीएफ़सी जीईएल	कार्यपालक निदेशक दिनेश विज महाप्रबंधक आलोक सूद	अक्षय ऊर्जा सेक्टर से संबधित मामलों का दायित्व	(O) 23456383 (R) 25088277 (0)23456286 (R)24119516	dinesh_vij @pfcindia.com alok_sud@pfcin dia.com
(VII)	आंतरिक लेखापरीक्षा	अपर महाप्रबंधक संजय शर्मा	आंतरिक लेखा परीक्षा से संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456734 (R)25554127	sanjay_sharma @pfcindia.com
(VIII)	चेन्नई कार्यालय: (दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय), प्रथम तल (रियर साइट), एसपीएस न्यू नं 185 बिल्डिंग, ओल्ड नंबर 137, अन्ना सलाई, चेन्नई 600002	कार्यपालक निदेशक पी.के. सिंह महाप्रबंधक के.वी.वी. सत्यनारायण अपर महाप्रबंधक गद्दम डेविड	चेन्नई कार्यालय के कार्यान्वयन से संबधित मामलों का दायित्व	(O) 23456588 (R)26895608 (O)044-2860243233 (O)044-28602433 (R)044-24613189	pk_singh@pfcin dia.com satya_k@pfcindia. com gaddam@pfcindi a.com
(IX)	मुंबई कार्यालय: पीएफसी (पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय) ग्राउंड फ्लोर, मून लाइट बिल्डिंग, 158, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई - 400020	कार्यपालक निदेशक ए. चक्रवर्ती अपर महाप्रबंधक आर. के. चतुर्वेदी	मुंबई कार्यालय के कार्यान्वयन संबधित मामलों का दायित्व	(O)23456687 (R)22620322 (O)022-22882482/ (R)22882440	achakravarti@pf cindi.com rk_chaturvedi@p fcindia.com

अनुलग्नक- "बी"

के निदेशक का नाम, पता एवं संपर्क नंबर (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जन शिकायत)

श्री ए. चक्रवर्ती (O) 23456687

कार्यकारी निदेशक (परियोजना) (R) 22620322

निदेशक (जन शिकायत)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

"ऊर्जानिधि",1, बाराखंबा लेन,

कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली- 110001

<u>अनुलग्नक "सी"</u>

शिकायतों के निपटान के लिए समय सीमा		
1	संबंधित प्राधिकारी को शिकायत याचिका का अग्रेषण	1-2 दिन
2	पावती/अंतरिम उत्तर को जारी करना	7 दिन
3	याचिकाकर्ता को अंतिम उत्तर	4 हफ्ते